रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26112025-267966
CG-DL-E-26112025-267966

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 780] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 26, 2025/ अग्रहायण 5, 1947
No. 780] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 26, 2025/ AGRHAYAN 5, 1947

संचार मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 नवम्बर ,2025

सा.का.नि. 866(अ).— निम्नलिखित मसौदा नियम, जिन्हें केन्द्रीय सरकार दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) की धारा 56 की उप-धारा (2) के खंड (ज) के साथ पठित धारा 4 की उप-धारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, को इससे प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त मसौदा नियमों पर राजपत्र में यथाप्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां सर्वसाधारण को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से तीस दिनों की अवधि की समाप्ति के बाद विचार किया जाएगा;

यदि कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उसे संयुक्त सचिव (दूरसंचार), दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार, संचार भवन, 20, अशोक रोड, नई दिल्ली- 110001 को भेजा जा सकता है।

उक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से प्राप्त आपत्ति या सुझाव पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

1. संक्षिप्त शीर्षक, प्रारंभ और प्रयोज्यता - (1) इन नियमों को 77 से 81 गीगाहर्ट्ज बैंड में शॉर्ट-रेंज ऑटोमोटिव रडार सिस्टम का उपयोग (असाइनमेंट आवश्यकता से छूट) नियम, 2025 कहा जा सकता है।

(2) वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. प्रयोज्यता - ये नियम 77 से 81 गीगाहर्ट्ज बैंड में लागू होंगे।

3. परिभाषाएँ - (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा आवश्यक न हो, -

(क) "अधिनियम" से दूरसंचार अधिनियम,2023 (2023 का 44) अभिप्रेत है;

(ख) "प्राधिकरण" से केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित प्राधिकरण अभिप्रेत है।

(ग) "समतुल्य आइसोट्रोपिक विकिरणित शक्ति" या "ई.आई.आर.पी" से कुल शक्ति जिसे एंटीना के सबसे मजबूत बीम की दिशा में वास्तविक स्रोत के समान सिग्नल शक्ति देने के लिए एक काल्पनिक आइसोट्रोपिक एंटीना द्वारा विकीर्ण करना होगा, अभिप्रेत है;

(घ) "पावर स्पेक्ट्रल घनत्व" से एक पल्स या पल्स के अनुक्रम से प्रति यूनिट बैंडविड्थ कुल ऊर्जा आउटपुट जिसके लिए संचारित शक्ति अपने अधिकतम स्तर पर होती है, पल्स की कुल अवधि से विभाजित होती है और जिस समय संचारित शक्ति बंद होती है या उसके अधिकतम स्तर से नीचे होती है उस दौरान कुल समय में पल्स के बीच का समय शामिल नहीं होता है, अभिप्रेत है;

(ङ) "डिवाइस" से आवृत्ति बैंड 77-81 मेगाहर्ट्ज में कार्य करने वाले रेडिएटर्स अभिप्रेत हैं जो वाइडबैंड डिजिटल मॉड्यूलेशन तकनीकों का उपयोग करते हैं और व्यक्तियों, व्यवसायों और संस्थाओं के लिए मोबाइल और फिक्सड संचार में उच्च डेटा दर की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करते हैं;

(च) "व्हीकल्स" में यात्री कारों, बसों, ट्रकों, टैक्सिग के दौरान विमान, रेलरोड ट्रेन लोकोमोटिव, ट्रेन कार, मोनोरेल या ट्राम, निर्माण वाहन, मोटरसाइकिल, स्कूटर और भारत के क्षेत्रीय जल के भीतर संचालित नौकाएं और जहाज शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त और परिभाषित नहीं किए गए किन्तु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो क्रमशः अधिनियम में उनके लिए हैं।

4. छूट - गैर-अंतरावरोधन, गैर-संरक्षण और साझा (गैर-अनन्य) आधार पर 77 से 81 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड में शॉर्ट-रेंज ऑटोमोटिव रडार सिस्टम के प्रयोजन के लिए किसी भी बेतार उपस्कर को स्थापित करने, बनाए रखने, काम करने, रखने या सौदा करने के लिए किसी भी व्यक्ति को किसी भी फ्रीक्वेंसी असाइनमेंट की आवश्यकता नहीं होगी बशर्ते नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट तकनीकी मापदंडों का उपयोग करे, अर्थात्: -

सारणी

तकनीकी विशेषताएँ

डिवाइस का प्रकार	#अधिकतम औसत ईआईआरपी	*अधिकतम पीक ई.आई.आर.पी	अधिकतम उत्सर्जन बैंडविड्थ	अधिकतम अवांछित उत्सर्जन सीमा
शॉर्ट रेंज ऑटोमोटिव रडार	50 डीबीएम	55 डीबीएम	4 गीगाहर्ट्ज़	-32 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज

औसत डिटेक्टर का उपयोग करके 1 मेगाहट्र्ज रिज़ॉल्यूशन बैंडविड्थ से अधिक मापा जाना है और कुल उत्सर्जन बैंडविड्थ पर एकीकृत किया जाना है

* पूरे उत्सर्जन बैंडविड्थ पर पीक डिटेक्टर का उपयोग करके 1 मेगाहट्र्ज रिज़ॉल्यूशन बैंडविड्थ से अधिक मापा जाना है, और उत्सर्जन बैंडविड्थ पर एकीकृत नहीं किया जाएगा।

4.1 परिचालन प्रतिबंध - (1) यह उपयोग केवल व्हीकल तक ही सीमित रहेगा।

5. इंटरफेरेंस - (1) एक रेडियो उपस्कर में रिसेप्शन पर उत्सर्जन, विकिरण या प्रेरण के एक या संयोजन के कारण अवांछित ऊर्जा का प्रभाव, किसी भी प्रदर्शन गिरावट, गलत व्याख्या, या सूचना की हानि से प्रकट होता है जिसे ऐसी अवांछित ऊर्जा के अभाव में निकाला जा सकता है, जहां कोई व्यक्ति दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) के अनुसार परिचालन कर रहा है या भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 (1885 का 13) के तहत लाइसेंस प्राप्त है जो अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (6) के अनुसार वैध है, प्राधिकरण को सूचित करता है कि उसके लाइसेंस प्राप्त सिस्टम को इन नियमों के तहत छूट प्राप्त किसी अन्य रेडियो उपकरण से हानिकारक हस्तक्षेप हो रहा है, तो ऐसा प्राधिकरण ऐसे अनधिकृत बेतार उपकरणों के प्रयोक्ता को उपस्कर को स्थानांतरित करने, शक्ति को कम करने और विशेष प्रकार के एंटीना का उपयोग करके इंटेरफेरेंस से बचने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए कहेगा, जिसमें विफल रहने पर ऐसा प्राधिकरण ऐसे बेतार उपयोग को बंद करने की सिफारिश करेगा।

(2) प्राधिकरण उप-नियम (1) के तहत बेतार उपयोग को बंद करने की सिफारिश करने से पहले बेतार उपस्कर के उपयोगकर्ता को एक उचित अवसर देगा।

6. उपस्कर - (1) बेतार उपस्कर को प्रकार अनुमोदित और डिजाइन और निर्मित किया जाएगा जो कि उत्सर्जन की बैंडविड्थ और अन्य पैरामीटर नियम 4 और 5 में विनिर्दिष्ट सीमाओं के अनुरूप होंगे। उपस्कर प्रकार अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवेदन केंद्रीय सरकार को अनुबंध में दिए गए प्रारूप में किया जाएगा।

(2) सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं संबंधित उपकरणों और फ्रीक्वेंसी बैंड के लिए आईटीयू/ ईटीएसआई/ एएनएसआई/बीआईएस/टीईसी/आईसीएनआईआरपी जैसे अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय मानकों के अनुसार होंगी।

[फा.सं. आर-11014/03/2025-एनटी]

देवेन्द्र कुमार राय, संयुक्त सचिव

अनुबंध

उपस्कर प्रकार अनुमोदन के लिए आवेदन

[नियम 6 देखें]

भाग-क-आवेदक

1.	उपस्कर प्रकार अनुमोदन के लिए आवेदन करने वाले विनिर्माता अधिकरण का नाम	:
2.	विनिर्माता अभिकरण का डाक पता	:
3.	प्रकार अनुमोदन के लिए आवेदन करने वाले भारतीय अभिकरण का नाम और पता	:
4.	उत्पाद का नाम और उत्पाद पहचान (मॉडल सं. आदि)	:

भाग-ख-ट्रांसमीटर का वर्णन

5.	आवृत्ति रेंज	:
6.	प्रीसेट स्विचेबल चैनलों की संख्या	:
7.	वॉयस/डाटा/टीवी चैनलों की संख्या (मल्टीचैनल उपस्कर की दशा में)	:
8.	टीएक्स:आरएक्स चैनल पृथक्करण (डुप्लैक्स/मल्टीचैनल उपस्कर की दशा में)	:
9.	समीपवर्ती चैनल पृथक्करण (मल्टीचैनल उपस्कर की दशा में)	:
10.	आवृत्ति स्थायित्व	:
11.	स्प्युरीअस या हार्मोनिक विकरण	:
	(i) कैरियर सप्रेशन (कैरियर सप्रैस्ड तंत्र की दशा में)	:
	(ii) आवांछित साइड बैंड सप्रेशन (एसएसबी तंत्र की दशा में)	:
	(iii) द्वितीय हार्मोनिक विकरण	:
	(iv) तृतीय हार्मोनिक विकरण	:
12.	अधिकतम आवृत्ति विचलन	:
13.	उत्सर्जन की रीति	:
14.	उत्सर्जन की बैंडविड्थ	:
15.	परीक्षण टोन विचलन	:
16.	आधार बैंड आवृत्ति	:
	(मल्टीचैनल उपस्कर की दशा में)	:

17. अपेक्षित मॉडयूलेशन का प्रकार :

18. पूर्व जोर :

19. विद्युत आउटपुट :
(एंटीना के इनपुट पर)

20. कोई अन्य जानकारी :

भाग-ग-प्रापकों के विवरण

21. आवृत्ति रेंज :

22. प्राप्ति की रीति :

23. प्राप्ति की स्प्युरीअस प्रतिक्रिया :

24. संवेदनशीलता :

25. आवृत्ति स्थायित्व :

26. (क) प्रभावी ध्वनी तापमान :
(ख) थ्रेसहॉल्ड इनपुट स्तर

27. मध्यवर्ती आवृत्ति :

28. डी-इम्फैसिस :

29. चयनशीलता :

30. कोई अन्य विशिष्टयां :

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान:

तारीख:

(**टिप्पण**: प्रत्येक प्रकार के उपस्कर के लिए अलग आवेदन प्रस्तुत किए जाने चाहिए)

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Telecommunications)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25 November, 2025

G.S.R. 866(E).—— The following draft rules, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 4 read with clause (h), to sub-section (2) of section 56 of the TelecommunicationsAct, 2023 (44 of 2023), are hereby published for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of this notification as published in the Official Gazette, are madeavailable to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Joint Secretary (Telecom), Department of Telecommunications, Ministry of Communications, Government of India, Sanchar Bhawan, 20, Ashoka Road, New Delhi- 110001;

The objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the aforesaid period shall be taken into consideration by the Central Government.

1. **Short title, commencement and application.** — (1) These rules may be called the Use of Short-Range Automotive Radar System in the 77 to 81 GHz band (Exemption from Assignment Requirement) Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.** — These rules shall apply in the 77 to 81 GHz band.

3. **Definitions.** — (1) In these rules, unless the context otherwise requires, -

(a) "Act" means the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023);

(b) "Authority" means the authority notified by the Central Government.

(c) "equivalent isotropic radiated power" or "e.i.r.p" means the total power that would have to be radiated by a hypothetical isotropic antenna to give the same signal strength as the actual source in the direction of the antenna's strongest beam;

(d) "power spectral density" means the total energy output per unit bandwidth from a pulse or sequence of pulses for which the transmit power is at its maximum level, divided by the total duration of the pulses and the total time does not include the time between pulses during which the transmit power is off or below its maximum level;

(e) "device" means the radiators operating in the frequency bands 77-81 GHz that use wideband digital modulation techniques and provide a wide array of high datarate in mobile and fixed communications for individuals, businesses, and institutions;

(f) "Vehicles" include, but are not limited to, passenger cars, busses, trucks, aircraft while taxing, railroad train locomotives, train cars, monorails or trams, construction vehicles, motorcycles, scooters, and boats and ships operated within territorial waters of India.

(2) The words and expressions used in these rules and not defined, but defined in the Act shall have the same meaning respectively assigned to them in the Act.

4. **Exemption.** — No frequency assignment shall be required by any person to establish, maintain, work, possess or deal in any wireless equipment for the purpose of short-range automotive radar system in the 77 to 81 GHz frequency band on non-interference, non-protection and shared (non-exclusive) basis, and using the technical parameters as specified in the Table below, namely: —

TABLE

Technical characteristics

Device Type	#Max. Average EIRP	*Max. Peak e.i.r.p	Max. Emission Bandwidth	Maximum unwanted emissions Limit
Short Range Automotive Radar	50 dBm	55 dBm	4 GHz	-32 dBm/MHz

To be measured over 1 MHz resolution bandwidth using average detector and integrated over the total emission bandwidth

* To be measured over 1 MHz resolution bandwidth using peak detector over the entire emission bandwidth, shall not be integrated over the emission bandwidth.

4.1 **Operational Restrictions.—** (1) This use will be limited to vehicles only.

5. **Interference.—** (1) The effect of unwanted energy due to one or a combination of emissions, radiations or induction upon reception in a radio equipment, manifested by any performance degradation, misinterpretation, or loss of information which could be extracted in the absence of such unwanted energy, where any person operating as per the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023) or license under the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885) which is valid pursuant to sub-section (6) of section 3 of the Act

informs the Authority that his licensed system is getting harmful interference from any other radio equipment exempted under these rules, then such Authority shall call upon the user of such unauthorised wireless equipment to take necessary steps to avoid interference by relocating the equipment, reducing the power and using special type of antennae, failing which such Authority shall recommend discontinuation of such wireless use.

(2) The Authority shall give a reasonable opportunity to the user of wireless equipment before making recommendation of discontinuation of wireless use under sub-rule (1).

6. Equipment. — (1) The wireless equipment shall be type approved and designed and constructed in such a manner that the bandwidth of emission and other parameters shall conform to the limits specified in rule 4 and 5. The application for obtaining equipment type approval shall be made to the Central Government in the format given in Annexure.

(2) The safety related requirements shall be as per the International or National standards such as ITU/ETSI/ANSI/BIS/TEC/ICNIRP for the respective devices and frequency bands.

[F. No. R-11014/03/2025-NT]

DEVENDRA KUMAR RAI, Jt. Secy

ANNEXURE

APPLICATION FOR EQUIPMENT TYPE APPROVAL

[See rule 6]

Section-A- Applicant

1. Name of manufacturing agency applying for equipment type approval :
2. Postal Address of manufacturing Agency :
3. Name and address of Indian agency applying for the type approval. :
4. Name of product and the product Identification (model number etc.,) :

Section- B- Details of Transmitter

5. Frequency range :
6. No. of preset switchable channels :
7. No. of voice /Data/ TV Channels (In case of multi- channel equipment) :
8. Tx-Rx channel separation (In case of Duplex/multi-channel equipment) :
9. Adjacent channel separation (In case of multi-channel equipment) :
10. Frequency stability :
11. Spurious/ Harmonic radiations :
    i. Carrier suppression (In case of carrier suppressed systems) :
    ii. Unwanted side band suppression (In case of SSB systems) :
    iii. 2nd Harmonic radiations :
    iv. 3rd Harmonic radiations :
12. Max. Frequency Deviation :
13. Mode of emission :

14.	Bandwidth of emission	:
15.	Test Tone deviation	:
16.	Base band frequency (In case of multi-channel equipment)	:
17.	Type of modulation to be required	:
18.	Pre-emphasis	:
19.	Power output (At the input of antenna)	:
20.	Any other information	:

Section-C- Details of Receivers

21.	Frequency range	:
22.	Mode of reception	:
23.	Spurious response of receiver	:
24.	Sensitivity	:
25.	Frequency stability	:
26.	(a) Effective noise temperature	:
	(b) Threshold input level	:
27.	Intermediate frequency	:
28.	De-emphasis	:
29.	Selectivity	:
30.	Any other particulars	:

Signature of the applicant

Place :
Date :
(**Note** : Separate application should be submitted for each type of equipment.)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.11.26 15:15:04 +05'30'